

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

2.

500925

जायदाद - म्वाजी 0.06 ए० छव डीसमील जमीन तैतर चौरा हकियत
 रेयती अमना हक वो हिस्सा वो दखली अन्दर खाता नं० 70
 वाके मौजा पुरा थाना गुमला थाना नं० 66 जिला गुमला
 जितके मुतअलके कलकट्टी वो डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार मोकाम गुमला
 वो सब डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार मोकाम गुमला अन्दर जमीनदारी
 झारखण्ड सरकार बजरीये सर्किल ऑफिसर गुमला शंवल के वाके
 है । तम्सील जमीन आवासीय भूमि है ।

मनोज कुमर
 20.09.2013

खाता नं०	प्लॉट नं०	नाम जमीन	दर्जा	रकबा
70	745	तैतर चौरा	III	0.06 ए०

सत्तर, सात सौ पैंतालीस

चौहद्दी - उत्तर - सुकरा उरम्वे, दक्षिण - रंजीत कुजर,
 पुरब- महेन्द्र उरम्वे पश्चिम - तेरेसा केरकेदवा

0.06 ए०

कुल रकबा छव डीसमील ।
 मापी- पुरब तरफ उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 97 फीट
 पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 97 फीट
 उत्तर तरफ पुरब से पश्चिम की चौड़ाई 27 फीट
 दक्षिण तरफ पुरब से पश्चिम की चौड़ाई 27 फीट

विदित हो कि खाना नम्बर पंच की जमीन मन मोकिर की रेयती वो
 की अमना हक वो हिस्सा की जमीन है जिस पर शर्त पूर्वक दखलकार चले
 जाते हैं मन मोकिर मकान बनाने वो दिगर काम के लिये 2,54,500/-
 दो लाख चौवन हजार पंच सौ रूपैया लिया वो अने तहद वो तम्सुक में
 कर लाया ।

पंचान - रंजीत कुमल पिता - श्री
 साधर कुमल राम. सुभं
 खैया टोली थो-जिला - गुमला 20/9/13

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

3.

500926

चूंकि मन मोकिर वो मोकिर अलेह आ दिवासी समुदाय के अर्न्तगत एक ही थाना वो जिला के निवासी है इसलिये मन मोकिर ने जमीन बिक्री हेतु न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार गुमला के कार्यालय में आवेदन दिया जिसका अनुमति वाद नं० 144/2013-14 आदेश दिनांक 28.6.13 को हुआ। मन मोकिर स्वीया को जरसमन करार कर अदालत जरसमन के बदला में उपर लिखा खाना नम्बर पंच की जमीन को बेचा वो बिक्री बेला क्लामी लिखकर दखलकार कर दिया। अब सय बिक्री जमीन पर जिस प्रकार का भुत्वा मित्त मन मोकिर का है या उनके उत्तराधिकारी का होता वह सब आज के रोज से बहसियत खरीददार मोकिर अलेह मय उनके उत्तराधिकारी का हुआ वो होगा। अब सय बिक्री जमीन पर मोकिर अलेह खुद दखलकार होकर वो रह कर मुनासिब इन्तजाम मकान बनावे वो जो इच्छा हो करे वो जिस प्रकार का आमदनी नगदहे जिनसी हो पुत्र पुत्रा दिक रेखा दिगरे भोग तत्तरूप किया करे वो झारखण्ड सरकार के सिरिस्ता अंगल कार्यालय में अपने नाम से दाखिल खारिज करा कर खस रसीद लिया करे। इसमें मन मोकिर वो उत्तराधिकारी मन मोकिर को कोई आपत्ति नहीं है इसलिये ब खुशी वो खोहीश दस्तावेज बिक्री लिख दिया की समय पर काम आवे। यह घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक ही किया गया है यह भी घोषित किया जाता है कि प्रासंगिक भूमि मुदान, भुहदबंदी, लीज, भु- अर्जन तथा भुबन्दोबस्ती की नहीं है यह भूमि खनन खं वन सीमा से बाहर है यह भी घोषित किया जाता है कि यह भूमि मठ, मन्दिर, गिरजा, मस्जिद सरना तथा गुरूदारा का नहीं है

मोहित कुमार
Sudhir Xalxo S/o Karlus 20.09.2013
Xalxo Vill- Deep Nagar Sisei
Lead Gumla 20/09/13

1011E-

तथा पूर्व में बिक्री नहीं किया गया है।

मैं लेख्यकारी झारखण्ड भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बिक्री की जाने वाली जमीन भूहदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

मनोज कुलु

20.09.2013



मनोज कुलु
20.09.2013

मैं लेख्यकारी झारखण्ड भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा खरीद की जाने वाली जमीन भूहदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

Jyoti Kerketta
20/9/13



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के बाये हाथ के पन्नों अंगुलियों का निम्नान दस्तावेज में लिया गया है जिनका फोटो दस्तावेज में चिपकाया गया है।

M. Sahu
Adv
20.9.13

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में 5 पन्ना में टंकित किया गया है।

Mansu Sahu
20.09.2013

टंकक पियुस भिंज कोर्ट परिसर गुमला ड्राफ्ट कर्ता
श्री Mansu Sahu Advocate Gumla Court

के ड्राफ्ट पर पददा बिछी बैला क्लामी टंकित किया।

M. Sahu
Advocate
20.9.13

टंकक
पियुस भिंज
20/9/2013

ड्राफ्ट कर्ता का EO /-



झारखण्ड JHARKHAND

B) 050140



मार्च २०१२
२०.०९.२०१२



झारखण्ड JHARKHAND

B 050141

श्रीमती प्रियंका
20-09-2013



CP 343
18/12/11

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला ।

अनुमति वाद सं०- 144/2013-14

मनोज कुजूर आवेदक ।

बनाम

ज्योति करकेटा विपक्षी ।

आदेश



इस अनुमति वाद की कार्यवाही आवेदक मनोज कुजूर पिता सुकरा उरखंवा ग्राम पुग् जोषाटोली थाना गुमला जिला गुमला के आवेदन पर छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत प्रारंभ की गई । आवेदक द्वारा निम्नांकित भूमि को विपक्षी ज्योति करकेटा पति श्री अरविन्द सोरेंग ग्राम दीपनगर पुग् थाना गुमला जिला गुमला के साथ मो० 2,54,500/- दो लाख चौवन हजार पाँच सौ रुपये में बिक्री करने की अनुमति की मांग करते हैं ।


मौजा	थाना/थाना नं०	खाना नं०	प्लॉट नं०	नाम जमीन दर्जा रकबा
पुग्	गुमला/ 66	70	745	तेतर चौरा-III 0.06 एकड़ चौहदी- उत्तर- सुकरा उरखंवा दक्षिण- रंजीत कुजूर, पूरब- महेन्द्र उरखंवा पश्चिम- तेरेसा करकेटा ।

343
18/12/11

जमा रकबा- छः डिसमिल, 0.06 एकड़

आवेदक के आवेदन पत्र की एक प्रति शंवल अधिकारी, गुमला को भेजे हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, एवं आम इरतेहार निर्गत की गई । शंवल अधिकारी, गुमला का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-497/ दिनांक- 18.6.13 द्वारा प्राप्त है । कहीं से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है । जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक की खतियानी जो उनके स्वामित्व एवं हिस्से की है जिसपर उनका शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है । उक्त भूमि की बिक्री के बाद 21.74 एकड़ जमीन शेष बचता है । आवेदक एवं क्रेता दोनों आदिवासी समुदाय के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं ।

आवेदक का ध्यान उनके विक्रय अधिकता के खास पहचान पर



अभिहित किया गया, अपने ब्यान में उन्होंने कहा है कि आवेदित भूमि की बिक्री के मकान बनाने को दिगर काम हेतु कर रहे हैं। उक्त भूमि मूदान, मूर्खन, सिस्किंग, गैरमजूर आ आम को खास तथा वनसीमा के अंतर्गत नहीं आता है।



उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, गुमला के अनुसंधायुक्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि की बिक्री में छोटो कारन अधि. की धारा 46 का उल्लंघन नहीं होता है। अतः उपर वर्णित क्रमानुसार वर्णित विपक्षी के साथ उपर उल्लिखित मूल्य अथवा निर्धारित कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित मूल्य जो अधिक हो पर बिक्री करने की प्रदान की जाती है।

प्रस्तावित प्रस्तावित अनुमति वाद से अन्य हिस्सेदार/अंशदार एवं हकदार का एवं हक एवं अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

लुका पित ।
28/6/13
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गुमला ।

28-6-13
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गुमला ।

अधिकारी कला
28/6
अधिकारी

अधिकारी कला
28/6
अधिकारी

CERTIFIED TO BE TRUE COPY
Date 28/6/13
Record Keeper
Authorised under Section 75 Act 1 of 1972 District Record Room, Gurgaon

